तकनीकी बिड

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

निविदा–प्रपत्र

निविदा मूल्य : 500 रुपये

निविदा का नाम	किराये पर जनरेटर के लिए (मुख्य, खन्दारी व छलेसर परिसर)।
आपूर्तिकर्त्ता / फर्म का नाम	....
दूरभाष नम्बर	....
पार्टनरशिप / प्रोपराइटरशिप	....
पत्र व्यवहार का पता	....
अर्नेस्टमनी	रूपये 40,000 / – (रूपये चालिस हजार मात्र) एफ.डी.आर. नं0 .... दिनांक .... बैक का नाम ....
निविदा प्रपत्र वेबसाइट से डाउनलोड की तिथि	22 अगस्त, 2016 से
निविदा प्रपत्र की हार्डकॉपी स्वीकार की अंतिम तिथि	30, अगस्त, 2016 अपरान्ह 3.00 बजे
निविदा खुलने की तिथि व समय–	30, अगस्त, 2016 अपरान्ह 3.30 बजे
निविदा का विवरण	मैं / हम .... फर्म का नाम .... प्रोपराइटर / पार्टनर .... निविदा के साथ संलग्न लिस्ट पर दी गई दरों पर कार्य करने को सहमत हूँ।

....

(हस्ताक्षर निविदादाता)

पता ....

टेलीफोन / मोबाइल नं0 ....

रजिस्ट्रेशन सं0 .... दिनांक.....................

आयकर पैन नम्बर ....

नोट–

वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ टेण्डर अभिलेख निर्धारित तिथि व समय तक फार्म शुल्क रूपये 500 / – के डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक एवं धरोहर राशि का एफ.डी.आर. के साथ जो ''वित्त अधिकारी, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा'' के पक्ष में देय हो, के साथ जमा करना अनिवार्य होगा ।

भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

घोषणा–पत्र

निविदा सम्बन्धी समस्त नियम व शर्तों के अन्तर्गत मैं श्री .... पार्टनर/प्रोपराइटर निवासी .... फर्म का नाम .... किराये पर जनरेटर के लिए (मुख्य, खन्दारी व छलेसर परिसर) के लिए विश्वविद्यालय को अपनी निविदा की दरें संलग्न कर रहा हूॅ । अर्नेस्टमनी का एफ.डी.आर. संख्या ....दिनांक .... रूपये ....बैंक का नाम .... जो वित्त अधिकारी, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के नाम बन्धक है इस निविदा के साथ संलग्न कर रहा हूँ मैंने निविदा सम्बन्धी नियम व शर्तें भली भॉति पढ़ लिया है तथा मुझे निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं। यदि मैं निर्धारित समय के अन्दर ठेके की कार्यवाही नियमानुसार यथा जमानत राशि, इकरारनामा आदि पूर्ण करने में असफल रहूँ तो मेरी धरोहर राशि जब्त कर ली जाय। इन नियमों एवं शर्तों का मैं पूर्ण रूपेण परिपालन करूँगा तथा उसके विरुद्ध मैं किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने का अधिकारी नहीं रहूँगा।

एतद्द्वारा मैं घोषणा करता हूँ कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तें एवं नियम मुझे बिना किसी आपत्ति के स्वेच्छा से स्वीकार हैं। सभी विवादों में कुलपति महोदय डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा किये गये समस्त निर्णय मुझे मान्य होंगे।

गवाह–	निविदादाता के हस्ताक्षर
हस्ताक्षर एवं पता	निविदादाता का नाम ....
....	....
	फर्म से सम्बन्ध ....
हस्ताक्षर एवं पता	पूरा पता ....
....	
दिनांक–	मोबाइल नं0 ....

नोट–

1– निविदा की तीन प्रतियॉ वेबसाइट से डाउन लोड कर दो प्रतियां सम्बन्धित साक्ष्य संलग्न कर विश्वविद्यालय को प्रेषित करें एवं एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें ।

2– दो प्रतियॉ विश्वविद्यालय में (प्रथम पर मूल व द्वितीय पर डुप्लीकेट प्रति अंकित कर) निर्धारित दिनांक एवं समय तक जमा होंगी ।

3– निविदा के साथ रूपये 100/– का नॉन जुडीशियन स्टाम्प पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

वित्तीय बिड

किराये पर जनरेटर लेने के लिए (मुख्य, खन्दारी व छलेसर परिसर हेतु)

मैं/हम.. (प्रोपराइटर/पार्टनर) फर्म का नाम ....

फर्म का पता ....

आपूर्ति मैं/हम निम्नलिखित दर पर करने में सहमत हूँ/हैं –

क्रम	विवरण	मासिक दर प्रति जनरेटर
1	125 के.वी.ए. जनरेटर (ध्वनि रहित) प्रतिष्ठित कम्पनी का प्रति माह मय रखरखाव सहित (बिना डीजल के)।	
2	62.5 के.वी.ए. जनरेटर (ध्वनि रहित) प्रतिष्ठित कम्पनी का प्रति माह मय रखरखाव सहित (बिना डीजल के)।	
2	125 के.वी.ए. जनरेटर (ध्वनि रहित) प्रतिष्ठित कम्पनी का प्रति माह मय रखरखाव सहित (डीजल सहित)।	
3	विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर वास्तविक समय के लिए जनरेटर चलाये जाने पर प्रति घण्टा डीजल का चार्ज ।	
4		

नोट – टैक्स नियमानुसार देय होगा ।

दिनांक–

(हस्ताक्षर निविदादाता)

फर्म की मोहर

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

निविदा सम्बन्धी नियम एवं शर्तें

1. विश्वविद्यालय में किराये पर ध्वनि रहित जनरेटर मानकानुसार उच्च गुणवत्ता का स्थापित कराया जायेगा । जनरेटर की नियमित (प्रति दिन–रात) देखरेख व संचालन फर्म के द्वारा ही किया जायेगा । नियमित देखरेख व संचालन का व्यय फर्म द्वारा ही वहन किया जायेगा । फर्म द्वारा जनरेटर चलाये जाने का ब्यौरा लॉगबुक में दर्ज कराया जायेगा जिसका सत्यापन सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा ।
2. आपूर्ति की संख्या को बढ़ाने एवं घटाने इत्यादि हेतु आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा ।
3. निर्धारित अर्नेस्टमनी की एफ.डी.आर. राशि वित्त अधिकारी डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा के नाम देय होगी। जिसे निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. यदि निविदा फर्म के नाम होगी तो फर्म का रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप ऐक्ट/कम्पनी ऐक्ट तथा व्यापार कर आयकर एवं कार्य के अनुभव का उल्लेख तथा समर्थन में अनुभव प्रमाण–पत्र व (केन्द्रीय व राज्य) वैट अधिनियम आदि तथा हस्ताक्षरकर्ता के नाम फर्म का मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटार्नी) लगाना अनिवार्य व आवश्यक होगा। कार्यक्षेत्र में कुशल संचालन के अनुभवी फर्म को वरीयता प्रदान की जायेगी ।
5. जिस कार्य/आपूर्ति की दरें दी जा रही हैं वे उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिये अगर ठेकेदार/फर्म द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो अन्य श्रोतों से निविदा में वर्णित कार्य/आपूर्ति गुणवत्ता के आधार/स्रोतों पर करा लिया जायेगा। कुलपति या उनके प्रतिनिधि का फैसला निविदादाता को मान्य होगा और उस फैसले के विरुद्ध निविदादाता को किसी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होगा ।
6. वैट/सेवाकर नियमानुसार अलग से देय होगा ।
7. निविदा की स्वीकृति पर कुलपति जी का फैसला अन्तिम होगा। निविदा देने वाले व्यक्ति को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
8. अगर निविदादाता निविदा स्वीकृति होने के बाद ठेका छोड़ देता है तो उसकी जमानत की धनराशि जब्त कर विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय को घटित क्षति के लिये उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी ।
9. फर्म/ठेकेदार के नाम से जो ठेका स्वीकृति किया जायेगा वह किसी भी दशा में किसी अन्य फर्म/ठेकेदार को स्थानान्तरित नहीं करेगा। यदि फर्म/ठेकेदार ऐसा करते है तो उनका ठेका निरस्त समझा जायेगा तथा उनकी जमानत राशि को जब्त करके विश्वविद्यालय कोष में जमा करा दिया जायेगा।
10. इस निविदा के माध्यम से स्वीकृत दरें सामान्य परिस्थिति में एक वर्ष तक मान्य होंगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में यदि अगली निविदा की दरें एक वर्ष से पूर्व स्वीकृत नहीं हो पाती हैं तो आगे भी इन्हीं दरों पर कार्य कराया जा सकता है । किन्तु दोनों पक्षों को यह स्वतन्त्रता होगी कि वे कम से कम तीन माह की नोटिस देकर अपने को इस शर्त से अलग कर सकते हैं।
11. फर्म/ठेकेदार दर पर उद्धृत करने वाली अथवा अन्य फर्म/ठेकेदारों से न्यूनतम दर प्रस्तावित करने वाली फर्म/ठेकेदार के पास यदि कार्य का अनुभव नहीं है, अथवा उसका प्रस्ताव स्पष्ट नहीं है, अथवा उसके द्वारा प्रस्तावित सामग्री का नमूना गुणवत्तायुक्त नहीं है, तो द्वितीय फर्म/ठेकेदार को न्यूनतम वार्तानुसार ठेका देने के लिये विश्वविद्यालय स्वतन्त्र होगा।
12. अगर निविदादाता निविदा स्वीकृति हो जाने के उपरान्त निविदा संबंधी कार्यवाही जैसे सिक्योरिटी धनराशि, अनुबन्ध आदि की कार्यबाही निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण नहीं करता है तो उसकी निविदा को निरस्त मानते हुए अर्नेस्टमनी की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। निर्धारित समय एवं दिनांक के बाद प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा चाहे विलम्ब पोस्ट आफिस/कोरियर की गलती के कारण हुआ हो।
13. (क) निविदा प्रपत्र तीन प्रतियों में उपलब्ध है जिसमें से 2 प्रतियों में भरकर पृथक–पृथक लिफाफों में जमा करना होगा। जिस लिफाफे में तकनीकी विड एवं वित्तीय विड रखे जायेंगे उस लिफाफे पर क्रमशः ''मूल प्रति'' तथा दूसरे लिफाफे पर ''डुप्लीकेट प्रति'' अंकित किया जाय। निविदा प्रपत्र की एक प्रति निविदादाता की व्यक्तिगत प्रति होगी।

    (ख) तकनीकी विड एवं वित्तीय विड अलग–अलग लिफाफों में सील कर दोनो को एक बड़े लिफाफे में रख कर सील करने के उपरान्त ही स्वीकार किया जायेगा।

(ग) तकनीकी बिड वाले लिफाफे में केवल कार्य के अनुभव प्रमाण–पत्र, अर्नेस्टमनी की धनराशि का बैंक एफ.डी.आर. एवं क्रमांक 2 के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पावर आफ एटार्नी आदि तथा सैम्पल होंगे उस पर ''तकनीकी विड'' अवश्य लिखा जाये।

(घ) जिस लिफाफे में सामग्री की दरें प्रस्तावित होंगी उस पर वित्तीय बिड लिखा जाय।

14. स्पेसीफिकेशन एवं गुणवत्ता वांछित स्तर की होनी आवश्यक है। तकनीकी जानकारी विश्वविद्यालय के अभियन्ता विभाग से प्राप्त की जा सकती है। गुणवत्तायुक्त कार्य के लिये दरें माँगी जा रही हैं। मानकानुसार जनरेटर स्थापित न किये जाने की स्थिति में उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा जिसे फर्म को स्वयं के खर्चे पर वापस ले जाना होगा तथा फर्म को इस सामग्री के लिए कोई भुगतान नहीं दिया जायेगा।

15. कुलपति जी को यह अधिकार होगा कि वह एक या समस्त निविदा को वगैर कोई कारण बताए निरस्त/स्वीकृत कर सकते हैं ऐसी स्थिति में फर्म/ठेकेदारों को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

16. दोनों पक्षों में कोई विवाद होने पर कुलपति जी ही आरबिट्रेटर होंगे जिनका निर्णय अन्तिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।

17. निविदादाता/फर्म को निविदा देने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास सम्बन्धित प्रकार का कार्य करने संबंधी उपकरण/मशीनरी आदि एवं यूनिट एक ही स्थान पर हो। उपकरण/मशीनरी आदि एवं यूनिट का निरीक्षण विश्वविद्यालय के इस कार्य के लिये प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किसी भी समय किया जा सकेगा।

18. निविदादाता/फर्म को स्टाम्प अधिनियम तथा इसके सापेक्ष समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार स्टाम्प शुल्क अदा करना होगा।

19. निविदा खोलने की तिथि से 90 दिवस तक वैध मानी जायेगी ।

20. समयबद्ध रूप से कार्य संपादित न करने अथवा असंतोषजनक/गुणवत्ता युक्त कार्य न करने पर विश्वविद्यालय को किसी रूप में भी पैनल्टी लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।

21. न्यायिक क्षेत्राधिकार आगरा ही होगा।

दिनांक–

हस्ताक्षर निविदादाता
पत्र व्यवहार का स्पष्ट पूरा पता
————————————————

————————————————

————————————————

दूरभाष नं0 ——————————
मोहर